प्रवाह

महोत्सव विश्वास का 75
निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक
स्थापना वर्ष : 1948

पृथ्वी प्रत्येक इन्सान की जरूरतों के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध करवाती है, पर उसके लालच के लिए नहीं। -महात्मा गांधी

वायनाड में बारिश और भूस्खलन से डेढ़ सौ से ज्यादा लोगों की मौत और सैकड़ों का अब भी मलबे में दबा होना वाकई हृदयविदारक है। यह त्रासदी विकास नीतियों और पर्यावरण संरक्षण के बीच एक संतुलन कायम करने की जरूरत पर पुनर्विचार के लिए बाध्य करती है।

विकास बनाम पर्यावरण

केरल के वायनाड में भारी बारिश के चलते मंगलवार तड़के बड़े पैमाने पर हुए भूस्खलन के बाद व्यापक तबाही के दृश्य हृदयविदारक तो हैं ही, इन्हें एक चेतावनी की तरह भी लिया जाना चाहिए, जो विकास नीतियों और पर्यावरण संरक्षण के मध्य एक संतुलन कायम करने की जरूरत पर पुनर्विचार के लिए बाध्य करती है। हालांकि इस भूस्खलन की वजह अरब सागर के तापमान के बढ़ने को बताया जा रहा है, जिससे खास किस्म के घने बादल बने और केरल में कम समय में काफी ज्यादा बारिश हो गई। उल्लेखनीय है कि प्रकृति ने मुंडक्कई, चूरलामाला, अट्टामाला और नूलपुझा गांवों में जो प्रकोप दिखाया है, वह केरल के लिए नया नहीं है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अनुसार, 2015 से 2022 के बीच देश में हुई भूस्खलन की 3,782 घटनाओं में से 2,239 केरल में हुई हैं। उल्लेखनीय है कि 2018 में आई बाढ़, जिसे सदी की सबसे खतरनाक बाढ़ माना जाता है, में करीब 483 लोगों की जानें गई थीं और करीब 57 हजार हेक्टेयर कृषियोग्य भूमि बर्बाद हो गई थी। इसके ठीक एक वर्ष बाद, 2019 में और फिर 2021 व 2022 में भी प्रकृति ने राज्य में अपना प्रकोप दिखाया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा जारी भूस्खलन एटलस के अनुसार, देश में भूस्खलन की सर्वाधिक आशंका वाले तीस जिलों में दस केरल में हैं। राज्य की आबादी के छठे हिस्से पर हमेशा बाढ़ का खतरा मंडराता रहता है। ये तथ्य राज्य की बाढ़ प्रभावित आबादी के आवास की व्यवस्था को पर्यावरण के अनुकूल किए जाने की जरूरत को रेखांकित करते हैं। इसके अतिरिक्त, 2011 में तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा माधव गाडगिल की अध्यक्षता में गठित पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल की सिफारिशों पर ध्यान दिया जाना चाहिए, जिनके अनुसार, पश्चिमी घाट के तीन चौथाई हिस्से में, जो गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और केरल तक फैला है, वनों, वनस्पतियों और जीव-जंतुओं की समृद्धता को देखते हुए इसे पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए। तब इन सिफारिशों को कठोर समझते हुए नहीं माना गया और सभी राज्य विकास की दौड़ में लगे रहे। इसका ही नतीजा है कि सदी में एकाध बार होने वाली चरम मौसमी घटनाएं अब दशक भर में खुद को दोहरा रही हैं। यह स्पष्ट है कि केरल में बार-बार आने वाली बाढ़ें और भूस्खलन जैसी घटनाएं जलवायु परिवर्तन और भूमि के गलत ढंग से उपयोग किए जाने का ही नतीजा हैं। ऐसे में, भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों का तुरंत मूल्यांकन किए जाने की तो जरूरत है ही, विकास व पर्यावरण में संतुलन बनाने के लिए हाल ही में सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक शुरू करने वाले उत्तराखंड से सीख भी ली जा सकती है।

कितना खोया, कितना जोड़ा

उत्तराखंड में जीडीपी की तर्ज पर जीईपी का आना एक मिसाल है। विकास कार्यों में प्राकृतिक संसाधनों को चोट पहुंचती ही है, लेकिन सरकार इनकी भरपाई के लिए जो कदम उठा रही है, वे कितने प्रभावी हैं और विकास की दौड़ में जो खोया, उसे बेहतर करने की क्या कोशिशें हुईं, यह जीईपी से ही पता चल सकेगा।

अनिल प्रकाश जोशी
पर्यावरणविद

हाल के समय में देश और दुनिया में करीब 86 फीसदी लोगों ने प्रचंड गर्मी को झेला। इस गर्मी के पीछे समुद्र का बढ़ता तापमान और उसके पीछे ग्लोबल वार्मिंग सबसे बड़ा कारक है। बीती 22 जुलाई अब तक का दुनिया का सबसे गर्म दिन था। समस्या यह है कि सही समय पर मौसम के मिजाज का पता नहीं चलता। और सबसे बड़ी बात यह है कि कब कहां किस रूप में बारिश हो जाए और कहां बाढ़ आ जाए और कब तूफान घेर ले, अब यह सब कुछ नियंत्रण से बाहर चला गया है।

दरअसल, जीडीपी की दौड़ में कोई भी देश पीछे नहीं छूटना चाहता। जाहिर है कि जब-जब प्रकृति और पर्यावरण के सवाल खड़े होते हैं, तो सभी देशों का यही मानना होता है कि हम अपने हिस्से का विकास कैसे त्याग दें, जब दुनिया के बड़े-बड़े देश कहीं बेहतर स्थिति में खड़े हैं। विकास अपनी जगह है, लेकिन समस्या यह है कि देश-दुनिया की सरकारों ने कभी भी ऐसा लेखा-जोखा नहीं दिया, जिससे पता चले कि कितना खोया और कितना जोड़ा। उल्लेखनीय है कि हम सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की तर्ज पर सकल पर्यावरण उत्पाद (जीईपी) जैसे सूचकांक को लाकर समझ सकते हैं कि हमको पर्यावरण को सुरक्षित करने की दिशा में अभी कितना कार्य करना चाहिए। अमेरिका के एक मिस्टर साइमन थे, जिन्होंने 1935 से 40 के बीच में जीडीपी का विचार दिया था और उनका मानना यह था कि आर्थिक वृद्धि तथा विकास को मापने का बेहतर मापदंड जीडीपी है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा था कि इसको संपूर्ण सूचक न माना जाए। उनका इशारा साफ था कि जीडीपी प्रकृति के हालात की सूचक नहीं हो सकती।

2010 में एक विचार उठा कि सरकारें जंगल जोड़ने और हवा-मिट्टी-पानी को बेहतर करने के लिए भी कटिबद्ध हैं और वे ऐसा करती भी हैं, लेकिन वह कितना कर पाईं, उसका कोई सामूहिक सूचक भी नहीं है। शुरुआत में सभी ने इस मुद्दे पर रुचि दिखाई, लेकिन बाद में सब ठंडे पड़ गए। 2013 में केदारनाथ त्रासदी ने सबको झकझोर दिया, और उत्तराखंड के पर्यावरण को लेकर देश भर में चर्चाएं होने लगीं। तब राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने जीईपी को लेकर बैठक कर इसे सरकारी स्वीकार्यता प्रदान की। शुरुआती दौर में इसके लिए एक तरफ सरकार ने कमेटी बनाई, जिसमें प्रमुख शोध संस्थाओं के निदेशकों के साथ डॉ. आरके पचौरी भी थे, जो उस समय टेरी के अध्यक्ष थे। यही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अखबारों खास तौर से अमर उजाला ने इसके लिए लामबंदी की। पर दुर्भाग्य से तत्कालीन मुख्यमंत्री के बदलने के बाद फिर इसमें शिथिलता आ गई।

2018 में नैनीताल उच्च न्यायालय ने भी इसे संज्ञान में लिया और अदालत के आदेशों को स्वीकारते हुए सरकार ने भी जीईपी के लिए स्वीकृति प्रदान की। लेकिन बड़ा सवाल यह था कि क्या जिन समीकरणों से जीडीपी की गणना की जाती है, वही जीईपी की गणना में भी काम आएंगे। देश की विभिन्न शोध संस्थाओं से संपर्क साधा गया।

दुर्भाग्यवश सभी के पास एक ही अमेरिकी सूत्र था कि जीईपी की गणना पारिस्थितिकी सेवा की तरह की जाए। लेकिन, पारिस्थितिकी सेवा में हर साल हवा, मिट्टी, जंगल और पानी के जोड़े जाने की सूचना नहीं मिलती, जबकि जीईपी इसका ही सूचक है। थक हार के हैस्को और उसके साथियों ने स्वयं ही इसका बीड़ा उठाया और जीईपी का एक समीकरण बनाया। लेकिन सवाल यह भी था कि क्या इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकारा जाएगा। इसके लिए दो चरणों में काम किया गया। अंतरराष्ट्रीय मान्यता के लिए इसे प्रतिष्ठित शोध पत्रों में छपने के लिए भेजा गया और साथ में राष्ट्रीय स्तर में इसकी स्वीकार्यता के लिए देश की शोध पत्रिकाओं में। स्विट्जरलैंड के शोध जर्नल इकोलॉजिकल इंडिकेटर ने इस विचार को स्वीकारते हुए इसे स्थान दिया। इसी कड़ी में देश की प्रमुख शोध पत्रिका *डाउन टू अर्थ* ने भी इसको स्थान दिया। इस सफलता के बाद उत्तराखंड के संबंधित विभाग से आंकड़े एकत्रित किए गए, जिनके आधार पर दुनिया की पहली जीईपी तैयार की गई।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जो लगातार पारिस्थितिकी और आर्थिक समन्वय की बात करते रहे हैं, उन्होंने इसे लॉन्च किया। इस तरह दुनिया में उत्तराखंड पहला राज्य बना, जिसने अपनी पारिस्थितिकी आंकड़े का लेखा-जोखा पब्लिक फोरम में प्रस्तुत किया। राज्य की पहली जीईपी के अनुसार यह राज्य 0.9 फीसदी की दर से अपने पारिस्थितिकी तंत्र में सकारात्मकता की ओर है। हालांकि, यह बहुत सुखदपूर्ण तो नहीं है, लेकिन इससे बहुत ज्यादा हताश भी नहीं हुआ जा सकता। ये कम से कम तीन से चार फीसदी की दर में होगी, तो ये एक सुरक्षित पारिस्थितिकी की ओर इशारा करेगी। इसकी गणना सूक्ष्म तरीके से की गई। उदाहरण के लिए, वनों में कितने वृक्ष इस वर्ष लगे और कितने वृक्ष विभिन्न विकास कार्यों के लिए गिराए गए, कितने वृक्ष प्राकृतिक वजहों से खत्म हुए, आने वाले वर्षों में प्राकृतिक वजहों से मरने वाले वृक्षों का संभावित औसत इत्यादि इन सभी को जीईपी के समीकरण में शामिल किया गया। वृक्षों को एक से तीन तक की रैंकिंग भी दी गई।

जीईपी में ट्री वेटेज निकाला गया, जो वर्तमान में 17 हजार है, जबकि एक बेहतर ट्री वेटेज 30 से 50 हजार होना सुरक्षित माना जाता है। इसी कड़ी में कितनी मिट्टी का ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट किया गया, प्राण वायु को कितना बेहतर किया, कितना पानी जोड़ा इत्यादि सभी पहलुओं की गणना कर राज्य की पहली जीईपी सामने आई। दरअसल, देश चाहे कोई भी हो, विकास कार्यों को करने में वन काटे जाते हैं और प्राकृतिक संसाधनों को भी चोट पहुंचती है, लेकिन सरकार इनकी भरपाई के लिए जो कदम उठा रही है, वे कितने प्रभावी हैं, यह जीईपी से पता चलता है। यह राज्यों व केंद्र सरकार के पारिस्थितिकी प्रयत्नों के लेखे-जोखे का एक प्रयोग है, जो इसलिए भी जरूरी है ताकि यह दर्शाया जा सके कि विकास में जो भी खोया, उसको बेहतर करने की कोशिश भी हुई है। जीईपी के आंकड़े जब हमारे सामने होंगे, तभी हम संतुलित विकास की बात कर सकेंगे और दुनिया के सामने एक मिसाल पेश कर सकेंगे।

edit@amarujala.com

जीवन धारा

कन्फ्यूशियस

यदि हृदय में मानवता है, तो चरित्र में सुंदरता होगी। यदि चरित्र में सुंदरता है, तो घर में सद्भाव होगा। यदि घर में सद्भाव है, तो राष्ट्र में व्यवस्था होगी, जब राष्ट्र में व्यवस्था होगी, तो दुनिया में शांति होगी।

खुद के जीवन को सुधारेंगे तो सब व्यवस्थित हो जाएगा

हम तीन तरीकों से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। पहला-चिंतन द्वारा, जो सबसे उत्तम है, दूसरा-अनुकरण द्वारा, जो सबसे आसान है और तीसरा-अनुभव द्वारा, जो सबसे कड़वा है। हमारे पास दो जीवन हैं, और दूसरा तब शुरू होता है, जब हमें एहसास होता है कि हमारे पास केवल एक ही है। दूसरों में मौजूद बुराई पर हमला करने के बजाय, अपने अंदर मौजूद बुराई पर हमला करो। दूसरों के प्रति विचारशीलता अच्छे जीवन और अच्छे समाज का आधार है। यदि हृदय में मानवता है, तो चरित्र में सुंदरता होगी। यदि चरित्र में सुंदरता है, तो घर में सद्भाव होगा। यदि घर में सद्भाव है, तो राष्ट्र में व्यवस्था होगी। जब राष्ट्र में व्यवस्था होगी, तो दुनिया में शांति होगी। इसलिए दुनिया को व्यवस्थित करने के लिए, हमें पहले राष्ट्र को व्यवस्थित करना होगा, राष्ट्र को व्यवस्थित करने के लिए, हमें पहले परिवार को व्यवस्थित करना होगा, परिवार को व्यवस्थित करने के लिए, हमें पहले अपने व्यक्तिगत जीवन को सुधारना होगा। इन सब से पहले हमें अपने दिलों को सही करना होगा। और जब यह स्पष्ट हो जाए कि लक्ष्यों तक नहीं पहुंचा जा सकता, तो लक्ष्यों को समायोजित न करें, बल्कि कार्रवाई के चरणों को समायोजित करें। और एक श्रेष्ठ व्यक्ति की तरह हमेशा पुण्य के बारे में सोचें, न कि सामान्य व्यक्ति कि तरह जो हमेशा आराम के बारे में सोचता है। आराम करना आसान है और सभी इस रास्ते को चुनते हैं। नफरत करना आसान है और प्यार करना मुश्किल। पूरी चीज इसी तरह काम करती है। सभी अच्छी चीजें पाना मुश्किल है। और बुरी चीजें पाना बहुत आसान है। इसलिए बदलाव जरूरी है। समय नदी के पानी की तरह बह जाता है और जो स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेता है, वह सबसे शक्तिशाली योद्धा है। इस बात की चिंता मत करो कि कोई तुम्हें नहीं जानता, जानने लायक बनने का प्रयास करो। जब हवा चलती है तो शक्तिशाली पेड़ टूट जाते हैं, पर घास झुक जाती है और टूटती नहीं, हवा से टूटने वाले शक्तिशाली पेड़ से घास अधिक मजबूत है। इसलिए खुश रहिए, क्योंकि एक खुशी सौ चिंताओं को दूर कर देती है। जीवन की अपेक्षाएं परिश्रम पर निर्भर करती हैं, जो मैकेनिक अपने काम को सही करना चाहता है, उसे पहले अपने औजारों को तेज करना होगा। दृढ़ता के बिना एक आदमी कभी भी एक अच्छा जादूगर या एक अच्छा चिकित्सक नहीं बन सकता। जैसे, पानी अपने बर्तन के अनुरूप खुद को ढाल लेता है, वैसे ही एक बुद्धिमान व्यक्ति खुद को परिस्थितियों के अनुरूप ढाल लेता है। यदि आपकी इच्छा भलाई के लिए है, तो लोग अच्छे होंगे। जो आदमी दो खरगोशों का पीछा करता है, वह किसी को भी नहीं पकड़ पाता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी धीमी गति से चलते हैं, जब तक आप रुकते नहीं हैं, क्योंकि पहाड़ को हिलाने वाला व्यक्ति छोटे-छोटे पत्थरों को हटाकर काम शुरू करता है।

प्रश्न पूछना जरूरी है

सूत्र

जो आदमी प्रश्न पूछता है वह एक मिनट के लिए लोगों के सामने मूर्ख होता है और जो नहीं पूछता वह जीवन भर के लिए मूर्ख होता है। गलतियों पर शर्मिंदा होकर उन्हें अपराध मत बनाओ। यदि आप कोई गलती करते हैं और उसे सुधारते नहीं हैं, तो उसे गलती कहा जाता है।

दूसरा पहलू

अंटार्कटिका में बहा बर्फ का पिंड तस्मानिया के लगभग छठे हिस्से के बराबर था। अब हिमखंडों की पुरानी तस्वीरें लेकर शोध किया जा रहा है।

दशकों पुरानी हजारों तस्वीरें खोलेंगी अंटार्कटिका के राज

अंटार्कटिका में करीब सवा दो साल पहले बर्फ का पहाड़नुमा पिंड लार्सन बी ढह गया था। यह टूटा हुआ हिस्सा तस्मानिया के लगभग छठे हिस्से के बराबर था। अपने शोध में हमने 1960 के दशक की अंटार्कटिका की लगभग एक हजार तस्वीरों का उपयोग कर इस हिमखंड के ढहने से दशकों पहले मौजूद पांच ग्लेशियरों को फिर से बनाया था। इससे हमें समुद्र का स्तर बढ़ने में इन ग्लेशियरों और बर्फ के पिंडों के योगदान की सटीक गणना करने में मदद मिली। हालांकि अंटार्कटिका बहुत दूर है और वहां के बदलते हालात जान पाना आसान नहीं है, लेकिन यह बदलाव हम सभी पर गहरा असर जरूर डाल रहे हैं।

रयान नॉर्थ

हिमखंडों के टूटने से दुनिया भर में समुद्र का स्तर बढ़ सकता है। वर्षों से लगातार असामान्य तापमान के बाद लार्सन बी हिमखंड हफ्तेभर में ढह गया था।

हिमखंडों के टूटने से दुनिया भर में समुद्र का स्तर बढ़ सकता है। वर्षों से लगातार असामान्य तापमान के बाद लार्सन बी हिमखंड हफ्तेभर में ढह गया था। इससे उन ग्लेशियरों में बदलाव आ गया, जो इसमें बहते थे। इस घटना के बाद से ग्लेशियरों की लगातार निगरानी की जा रही है। साल 2002 से पहले तो निगरानी का यह काम बहुत ज्यादा नहीं था। हालांकि अंटार्कटिका की तीन लाख से ज्यादा तस्वीरों के संग्रह में 1968 से इस क्षेत्र का बेशकीमती रिकॉर्ड शामिल है और इससे हमें तब और अब के बीच फर्क को मापने में मदद मिली।

अंटार्कटिका महाद्वीप का नक्शा बनाने के लिए अमेरिका की नौसेना के नक्शानवीसों से वर्ष 1946 से 2000 के बीच उच्च गुणवत्ता वाली तीन लाख तीस हजार तस्वीरें प्राप्त की गई थीं।

अंटार्कटिका महाद्वीप का नक्शा बनाने के लिए अमेरिका की नौसेना के नक्शानवीसों से वर्ष 1946 से 2000 के बीच उच्च गुणवत्ता वाली तीन लाख तीस हजार तस्वीरें ली थीं। इन सभी तस्वीरों को मिनिसोटा यूनिवर्सिटी के पोलर जियोस्पेशियल सेंटर में सुरक्षित रखा गया है और इन्हें आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। ये तस्वीरें उतनी ही हाई रेजोल्युशन वाली हैं, जितनी कि आज का कोई अत्याधुनिक उपग्रह लेने में सक्षम हो सकता है। हमने फोटोग्रामेट्री तकनीक का उपयोग करके लार्सन बी हिमखंड क्षेत्र में पांच ग्लेशियरों के सटीक थ्री-डी मॉडल तैयार किए। लार्सन बी ढहने के बाद ग्लेशियरों से 35 अरब टन बर्फ साफ हो गई थी। जैसे-जैसे जलवायु परिवर्तन में तेजी आ रही है, वायुमंडल और महासागर के गर्म होने से अंटार्कटिक पर बर्फ के विशाल पिंडों को बड़ा खतरा पैदा हो गया है। इन्हीं तस्वीरों का उपयोग बर्फ के दूसरे पिंडों या ग्लेशियरों, समुद्र तटों में बदलावों, पेंगुइनों की बस्तियों, वहां की वनस्पतियों पर असर और यहां तक कि इन्सान पर पड़ने वाले प्रभावों की जांच के लिए किया जा सकता है। इस लिहाज से ऐतिहासिक तस्वीरों का यह संकलन एक अमूल्य संसाधन है। *(द कन्वर्सेशन)*

आंकड़े

कृषि स्टार्टअप

पांच वर्षों में विभिन्न माध्यमों से कुल 1708 कृषि स्टार्टअप को किस्तों में 122.50 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी गई है।

2019-20	58
2020-21	588
2021-22	277
2022-23	253
2023-24	532

आंकड़े कृषि स्टार्टअप की संख्या के हैं। | स्रोत : PIB

अंतर्यात्रा

वशिष्ठ के शाप के बाद जब निमि का जीव अपने शरीर में नहीं लौटा, तो ऋषियों ने उनके शरीर को मथकर एक बालक उत्पन्न किया, जिसका नाम मिथिल पड़ा।

निमि का शरीर मथने से पैदा हुए जनक

अंतर्यात्रा
संकलित

सूर्यवंश में इक्ष्वाकु के पुत्र महाराज निमि नाम के राजर्षि हुए। उन्होंने एक बड़ा यज्ञ कराने के लिए कुलगुरु वशिष्ठ से प्रार्थना की। महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि आप से पहले मुझे इंद्र ने यज्ञ कराने के लिए कहा है। इंद्र का यज्ञ कराने के बाद तुम्हारा यज्ञ कराऊंगा। इधर, निमि ने सोचा कि इस शरीर का क्या ठिकाना? इसलिए वशिष्ठ का इंतजार किए बिना उन्होंने दूसरे पुरोहितों से यज्ञ कराना शुरू कर दिया।

महर्षि वशिष्ठ लौटकर आए, तो यज्ञ होता हुआ देखकर वह निमि से नाराज हुए और शरीर से जीवात्मा के अलग होने का शाप दे दिया। वहीं, निमि ने भी वशिष्ठ को शरीर से जीवात्मा के अलग होने का शाप दे दिया। अब दोनों के जीव शरीर से अलग हो गए। वशिष्ठ का जीव ब्रह्मा जी के पास पहुंचा और कहा कि जीव के शरीर से अलग होने का कोई महत्व नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा, 'अमुक घड़े में मित्रावरुण का वीर्य रखा है, उसी से अपना शरीर बना लें।' वशिष्ठ ने ऐसा ही किया। दूसरी ओर, यज्ञ में आए देवताओं से पुरोहितों ने निमि को भी शरीर प्रदान करने का वर मांगा। निमि के जीव ने कहा, 'अब मुझे नश्वर शरीर नहीं चाहिए।' इसके बाद ऋषियों ने सोचा कि बिना राजा के प्रजा का पालन कैसे होगा? उन्होंने निमि के शरीर को मथकर एक बालक उत्पन्न किया। मथने की वजह से 'मिथिल' और वंश चलाने की वजह से उनका नाम 'जनक' हुआ। बिना शरीर के उत्पन्न होने की वजह से वह विदेह कहलाए।

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 21 अगस्त, 1956

पाकिस्तान में राष्ट्रपति शासन की आशंका

पाकिस्तान में राष्ट्रपति के शासन की स्थापना की आशंका
राजनीतिक स्थिति अत्यन्त डांवाडोल
चुर्क की सीमेन्ट फक्टरी ठप्प

स्टेट्समैन के प्रतिनिधि का कथन है कि पाकिस्तान में शीघ्र ही संकटकालीन स्थिति का एलान होकर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। अवामी लीग के नेता हसन शहीद व मौलाना भपानी को इस विषय पर मंत्रणा के लिए कराची बुलाया गया है।

संविधान की नौवीं अनुसूची और आरक्षण

कई दल विवादों को खत्म करने के लिए आरक्षण संबंधी सभी कानूनों को नौवीं अनुसूची में शामिल कराना चाहते हैं, क्या इससे समस्या का हल होगा?

केसी त्यागी

मुद्दा

सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण संबंधी मामले में पटना हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया है। बिहार सरकार ने शीर्ष अदालत में दावा किया था कि राज्य द्वारा किए गए जाति सर्वेक्षण ने 1992 के इंद्रा साहनी फैसले में शीर्ष अदालत द्वारा निर्धारित आरक्षण पर 50 फीसदी की सीमा को तोड़ने के लिए आवश्यक सामाजिक परीक्षण मापदंडों को पर्याप्त रूप से संतुष्ट किया है।

पटना हाईकोर्ट ने 20 जून को बिहार पदों और सेवाओं में रिक्तियों के आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) संशोधन अधिनियम, 2023 और बिहार आरक्षण (शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में) संशोधन अधिनियम, 2023 को चुनौती देने वाली याचिकाओं को स्वीकार कर लिया था और दोनों कानूनों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता), 15 (भेदभाव के खिलाफ अधिकार) और 16 (रोजगार में भेदभाव के खिलाफ अधिकार) का उल्लंघन माना था।

संविधान के अनुच्छेद 15(4) में, 'नागरिकों के किसी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान' करने का अधिकार दिया। अनुच्छेद 15 और 16 में महत्वपूर्ण शब्द 'केवल' है- जिसका अर्थ है कि यदि कोई धार्मिक, नस्लीय या जाति समूह अनुच्छेद 46 के तहत 'कमजोर वर्ग' का गठन करता है, तो वह अपनी उन्नति के लिए विशेष प्रावधानों का हकदार होगा। इस विशेष प्रावधान का अर्थ मुख्यतः आरक्षण है। देश में आरक्षण को लेकर अक्सर विवाद होता रहा है। इसलिए कई राजनीतिक दल आरक्षण पर बार-बार होने वाले विवाद को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए आरक्षण संबंधी सभी कानूनों को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग करते रहे हैं।

बिहार में 65 फीसदी आरक्षण, ऐतिहासिक इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ के फैसले में शीर्ष अदालत द्वारा निर्धारित 50 प्रतिशत की सीमा का उल्लंघन करता है। हालांकि, किसी कानून को नौवीं अनुसूची में रखने से उसे न्यायिक जांच से बचाया जा सकता है। तमिलनाडु पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (शैक्षणिक संस्थानों में सीटों का आरक्षण और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों या पदों का आरक्षण) अधिनियम, 1993, कॉलेजों और राज्य सरकार की नौकरियों में 69 प्रतिशत सीटें आरक्षित करता है। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है, जहां पर सबसे अधिक 69 प्रतिशत आरक्षण है और यह व्यवस्था संविधान की नौवीं अनुसूची का हिस्सा है। 20वीं सदी की शुरुआत में उभरा द्रविड़ आंदोलन प्रभुतासंपन्न समुदाय के खिलाफ शक्तिशाली भूमिधारक वर्गों का था, जो सत्ता के ज्यादातर पदों पर काबिज थे। पूर्व मुख्यमंत्री एमजी रामचंद्रन को लगा कि आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए, पर तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता ने विभिन्न दलों के साथ मिलकर तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव से मिलने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया और अंततः आरक्षण प्रावधान को नौवीं अनुसूची में शामिल करवाया। हालांकि वर्ष 2007 में नौवीं अनुसूची को भी चुनौती दी गई (आई आर कोएलो बनाम तमिलनाडु राज्य), लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वसम्मति से नौ न्यायाधीशों के आधार पर फैसला सुनाया कि नौवीं अनुसूची के तहत रखे गए कानूनों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती, लेकिन उन्हें संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करने के आधार पर चुनौती दी जा सकती है। नौवीं अनुसूची में केंद्रीय और राज्य कानूनों की सूची है, जिन्हें अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती। वर्तमान में 284 कानून न्यायिक समीक्षा से सुरक्षित हैं।

वर्ष 2023 में छत्तीसगढ़ सरकार ने 58 प्रतिशत आरक्षण का दायरा बढ़ाते हुए राज्य में 72 प्रतिशत का दायरा बढ़ाया था। इस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। इसके बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में उच्च कोटा प्रदान करने वाले दो संशोधन विधेयकों को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है। ऐसे ही झारखंड सरकार ने विधानसभा में एक विधेयक पारित किया था, जो राज्य में रिक्त सरकारी पदों और सेवाओं में आरक्षण बढ़ाकर 77 प्रतिशत करने से संबंधित था। हालांकि, यह भी विधेयक लागू नहीं हो सका और झारखंड के मुख्यमंत्री ने केंद्र से सिफारिश कि इस विधेयक को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करें।

आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू होने के बाद आरक्षण नीतियों पर एक नई तरह की बहस शुरू हो गई है, जैसे आरक्षण का दायरा खत्म करना और ईडब्ल्यूएस को जाति तटस्थ बनाना तथा सभी जातियों व वर्गों को इसमें शामिल करना आदि। अगर ऐसा नहीं हुआ, तो देश में कई तरह के सामाजिक व राजनीतिक संघर्ष पैदा हो जाएंगे, इसलिए केंद्र सरकार को इस विषय पर सोचने की जरूरत है। -साथ में पंकज चौरसिया

दैनिक जागरण

आस्था के अभाव में भक्ति का कोई औचित्य नहीं

जाति की राजनीति

बहुत दिन नहीं हुए, जब राहुल गांधी लोगों और विशेषकर अधिकारियों एवं मीडिया वालों की जाति पूछते थे, लेकिन जब लोकसभा में उनका उल्लेख किए बिना यह तंज कसा गया कि जिन्हें अपनी जाति का पता नहीं, वे उसकी गणना की मांग कर रहे हैं तो कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के नेता संसद के भीतर और बाहर आपे से बाहर हो गए। इनमें कांग्रेस के वे नेता भी हैं, जो लोगों की जाति जानने की राहुल गांधी की उत्कंठा को उनका मास्टर स्ट्रोक बताया करते थे। जब कोई घूम-घूमकर इनकी-उनकी जाति जानने की कोशिश करेगा तो फिर उसे वैसे कटाक्ष सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए, जैसा विगत दिवस भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने किया। राहुल गांधी इस कटाक्ष को अपना अपमान बता रहे हैं। यह वही राहुल हैं, जो चंद दिन पहले ही लोकसभा में भाजपा नेताओं को दुर्योधन, शकुनी आदि बताने में लगे हुए थे। इसके पहले वह एक जनसभा में यह कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री मोदी तो ओबीसी हैं ही नहीं। यह एक नीति की बात है कि किसी को भी दूसरों के साथ वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, जैसा उसे अपने लिए पसंद न हो। अनुराग ठाकुर के बयान पर संसद में जो हंगामा हो रहा है, वह केवल खीझ मिटाने और जनता का ध्यान भंग करने के लिए हो रहा है। यह हास्यास्पद ही है कि अनुराग ठाकुर के बयान का समर्थन करने के कारण कांग्रेस प्रधानमंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस देने पर विचार कर रही है।

संसद में जाति पर जैसा घमासान हो रहा है, वह जाति की राजनीति का नतीजा है। दुर्भाग्य से जब देश को जाति की राजनीति से बाहर लाने की कोशिश की जानी चाहिए, तब कुछ दलों और विशेष रूप से कांग्रेस के नेता जाति की राजनीति को तूल देकर समाज में विभाजन और वैमनस्य पैदा करने में लगे हुए हैं। वे यह कहकर जाति गणना की मांग करने में लगे हुए हैं कि इससे ही समस्त समस्याओं का समाधान होगा और सामाजिक न्याय का लक्ष्य हासिल होगा। यदि जाति गणना इतनी ही आवश्यक थी तो दशकों तक केंद्र की सत्ता में रही कांग्रेस ने ऐसा क्यों नहीं किया? प्रश्न यह भी है कि क्या लोगों की जाति जाने बिना उन्हें गरीबी से बाहर निकालने और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के प्रश्न हल करना संभव नहीं? हर कोई इससे अच्छी तरह परिचित है कि जाति की राजनीति ने समाज को विभाजित करने के साथ सामाजिक न्याय की राह में मुश्किलें पैदा की हैं, फिर भी कुछ नेता अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए समाज को जातियों में बांटने में लगे हुए हैं। जातीय वैमनस्य के रूप में इसके दुष्परिणाम सामने हैं, लेकिन जातिवादी नेता यह देखने-समझने को तैयार नहीं। हमारे समाज में तो केवल दो ही जातियां होनी चाहिए-अमीर एवं गरीब और उनका ही पता लगाया जाना चाहिए।

अराजकता पर रोक जरूरी

पंजाब में पिछले कुछ दिनों से निहंगों की ओर से जिस तरह हमले किए जाने की घटनाएं सामने आ रही हैं उससे कानून व्यवस्था को लेकर राज्य की छवि प्रभावित हो रही है। ताजा मामला तरनतारन में एक दुकानदार की हत्या का है। पैसे के लेनदेन को लेकर उसकी बाजू काट देने से अस्पताल में मौत का मामला अत्यंत गंभीर है। यदि किसी भी तरह का विवाद था तो निहंगों को इसकी शिकायत पुलिस के पास दर्ज करवानी चाहिए थी। पैसे के लेनदेन के विवाद की स्थिति में संबंधित सक्षम अधिकारी के पास जाना चाहिए। यदि वहां सुनवाई नहीं होती है तो अदालत का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। निहंगों द्वारा अराजकता की घटनाएं लगातार बढ़ना चिंता वाली बात है। जुलाई में ही पांच घटनाएं हो चुकी हैं। लुधियाना में शिवसेना नेता सहित दो व्यक्तियों पर तलवार से हमला करने के अलावा संगरूर में बिजली मैकेनिक की हत्या मामूली बात पर कर दी गई। अमृतसर में भारतीय प्रबंधन संस्थान परिसर में भी निहंग द्वारा उत्पात मचाया गया। इसके अलावा जालंधर सहित अन्य जिलों में भी कई घटनाएं हो चुकी हैं। इस तरह की घटनाओं को राज्य सरकार और पुलिस विभाग के आलाधिकारियों को गंभीरता से लेना होगा। किसी को भी कानून हाथ में लेने की छूट किसी भी कीमत पर नहीं दी जानी चाहिए। लगातार यदि इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी तो समाज में भय पैदा होना स्वाभाविक है। कभी भी राज्य की जनता को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि पुलिस असहाय बनी हुई है। राज्य में कानून का शासन होने के साथ ही यह दिखना भी चाहिए। पुलिस के लाचार दिखने की स्थिति भविष्य में गंभीर संकट पैदा कर सकती है।

किसी को भी कानून हाथ में लेने की छूट किसी भी कीमत पर नहीं दी जानी चाहिए। राज्य में कानून का शासन होने के साथ ही यह दिखना भी चाहिए

अपने भीतर झांके अमेरिका

ए. सूर्यप्रकाश

भारत को उपदेश देने से बेहतर है कि अमेरिकी संस्थान अपने उन पहलुओं पर ध्यान दें, जिनके चलते उनके लोकतांत्रिक मूल्यों को व्यापक क्षति पहुंची है

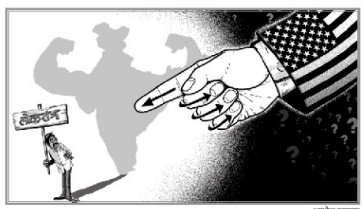

अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर गठित संयुक्त राज्य (अमेरिकी) आयोग यानी यूएससीआइआरएफ ने बीते दिनों अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है और इस गिरावट के लिए मुख्य रूप से भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार जिम्मेदार है। आयोग के अनुसार भाजपा सरकार भेदभावपूर्ण राष्ट्रवादी नीतियों की राह पर चलते हुए नफरती विमर्श को बढ़ावा दे रही है। सरकार-मुस्लिम, ईसाई, सिख, दलित, यहूदी और आदिवासी आदि तबकों की सांप्रदायिकता से रक्षा नहीं कर पा रही। उसका यह भी कहना है कि यूएपीए, एफसीआरए, सीसीए और मतांतरण विरोधी एवं गोहत्या पर शिकंजा कसने वाले कानूनों के जरिये भी न केवल इन तबकों, बल्कि उनके पक्ष में आवाज उठाने वालों का भी उत्पीड़न किया जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाने का फैसला भी आयोग को पचा नहीं, जबकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसले को सही पाया। आयोग ने जम्मू-कश्मीर का एक 'मुस्लिम बहुल' राज्य के रूप में हवाला देते हुए वहां उत्पीड़न की बातों के साथ ही एक मुस्लिम पत्रकार की गिरफ्तारी का भी संदर्भ रखा। हालांकि, आयोग ने इस तथ्य के प्रति आंखों पर पूरी तरह से पट्टी बांधे रखी कि इसी एकमात्र मुस्लिम बहुल राज्य से करीब पांच लाख हिंदुओं को बेदखल कर दिया गया और वे अपने ही देश के दूसरे हिस्सों में शरणार्थियों का जीवन जीने पर विवश हैं। इस रिपोर्ट का सार समझें तो उसकी दृष्टि में हिंदुओं के जीवन का कोई मोल ही नहीं।

बुनियादी रूप से अमेरिकी रिपोर्ट आरोपों और अर्धसत्यों से भरी पड़ी है। इसमें यह कहीं उल्लेख नहीं किया गया कि भारत 'राज्यों का एक संघ' है, जहां राज्यों के पास व्यापक विधायी एवं प्रशासनिक अधिकार और कार्यक्षेत्र हैं। इसमें कानून एवं व्यवस्था का दारोमदार तो मुख्य रूप से राज्य सरकारों का है। अर्थात चाहे सांप्रदायिक हिंसा हो या कानून एवं व्यवस्था के मोर्चे पर कोई अन्य चुनौती सामने आए तो उससे निपटने का दायित्व राज्यों में कमान संभाल रही सरकारों का है। रिपोर्ट में इसका भी संज्ञान नहीं लिया गया है कि भारत में करीब 40 प्रमुख राजनीतिक दल हैं। उनमें से कुछ अलग-अलग गठबंधनों का हिस्सा हैं। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, बंगाल, झारखंड, हिमाचल और पंजाब जैसे राज्यों में तो भाजपा या राजग विरोधी सरकारें सत्तारूढ़ हैं। इसके बावजूद रिपोर्ट में अन्य राजनीतिक दलों के शासन वाले राज्यों का उल्लेख नहीं। भाजपा विरोधी दलों के शासन वाले राज्यों में अल्पसंख्यकों पर हुए अत्याचारों का भी कोई जिक्र नहीं। बंगाल, उत्तर प्रदेश और केरल के मुस्लिम बहुल इलाकों में हिंदुओं को निशाना बनाने की घटनाओं पर भी रिपोर्ट मौन है।

अवधेश राजपूत

अमेरिकी रिपोर्ट लगभग उसी दौरान आई जब विभिन्न देशों में लोकतंत्र की दशा-दिशा से जुड़ी प्यू की एक रिपोर्ट सामने आई। प्यू के सर्वे के अनुसार केवल 19 प्रतिशत अमेरिकी ही यह मानते हैं कि उनका लोकतंत्र अन्य देशों के लिए अनुकरणीय है। उनमें से कुछ युवाओं का तो यहां तक मानना रहा कि अमेरिकी लोकतंत्र कभी भी दूसरों के लिए एक आदर्श रहा ही नहीं। दूसरी ओर, करीब 77 प्रतिशत भारतीय देश में लोकतंत्र की स्थिति को लेकर संतुष्ट हैं। इस मामले में 80 प्रतिशत के आंकड़े के साथ सिंगापुर शीर्ष पर है। अगर किसी देश के नागरिकों का लोकतंत्र में इतना व्यापक विश्वास है तो क्या वहां लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर सवाल उठाना उचित है? इन उत्तरदाताओं में अल्पसंख्यक नागरिक भी शामिल रहे होंगे। जबकि अमेरिका में लोकतंत्र के प्रति धारणा खासी नकारात्मक है। इसके पीछे एक पृष्ठभूमि है, जिसमें सदियों पुराने नस्लीय दंगों, हिंसक भीड़ के मामले, कैलिफोर्निया में नरसंहार, प्रवासियों को लेकर हुए दंगे, 1919 में शिकागो का नस्लीय दंगा और 1921 में तुलसा नस्लीय नरसंहार जैसे अध्याय शामिल हैं। यह सिलसिला 2020 में श्वेत पुलिसकर्मी द्वारा अश्वेत जार्ज फ्लायड की हत्या के बाद हुए विरोध-प्रदर्शनों तक जारी रहा। ऐसे में अमेरिकी आयोग को अपने भीतर झांकना चाहिए। वहां नस्लीय संघर्ष निरंतर काबू से बाहर होकर अमेरिका की लोकतांत्रिक साख पर बट्टा लगा रहा है। यह भी दुखद है कि इस रिपोर्ट को तैयार करने वालों को न तो भारत की संवैधानिक व्यवस्था की कोई जानकारी है और न ही वे भारतीय राज्यों के सामाजिक एवं धार्मिक तानेबाने से ही परिचित हैं।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार आठ राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में हिंदू अल्पसंख्यक स्थिति में हैं। लक्षद्वीप में हिंदू 2.5 प्रतिशत, मिजोरम में 2.75 प्रतिशत, मेघालय में 11.53 प्रतिशत, जम्मू-कश्मीर में 28.44 प्रतिशत, अरुणाचल में 29 प्रतिशत, मणिपुर में 31.39 प्रतिशत और पंजाब में 38.40 प्रतिशत हैं। रिपोर्ट में इन राज्यों में प्रताड़ना के शिकार हिंदुओं या मुस्लिमों के दबदबे वाले केरल एवं उत्तर प्रदेश से ऐसी घटनाओं पर एक शब्द नहीं खर्च किया गया। कुल मिलाकर, यह रिपोर्ट विश्वसनीय नहीं। अमेरिकी आयोग ने विश्व के सबसे जीवंत एवं गतिशील लोकतंत्र में संवैधानिक रूप से प्राप्त व्यापक मूल अधिकारों से संरक्षित अल्पसंख्यकों को लेकर अनावश्यक चिंता व्यक्त की है। अब हमें इस आयोग को प्यू रिसर्च सर्वे के जरिये आईना दिखाकर खुद उसे एक 'चिंतित करने वाले संस्थान' के रूप में चिह्नित करना चाहिए। भारतीय राज्य की प्रकृति एवं स्वरूप पर समग्रता में विचार किए बिना यह अमेरिकी आयोग मूर्खतापूर्ण ढंग से भारत को एकल सरकार और एक राजनीतिक दल केंद्रित व्यवस्था के रूप में देखता है। चूंकि यूएससीआइआरएफ अमेरिका का एक राष्ट्रीय संस्थान है तो उसकी यह प्रस्तुति और हैरान करती है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव बस होने ही वाले हैं। ऐसे में बेहतर होगा कि वहां के संस्थान अपने देश की उन भ्रंश रेखाओं पर ध्यान दें, जिनके चलते हाल के वर्षों में उनके लोकतांत्रिक मूल्यों को व्यापक क्षति पहुंची है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला इसका ही नतीजा माना जा रहा है।

(लेखक लोकतांत्रिक विषयों के विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

बदहाल शिक्षा की देन हैं कोचिंग केंद्र

गिरीश्वर मिश्र

व्यावसायिक कोचिंग का विशाल धंधा शिक्षा की घोर दुर्व्यवस्था की स्थिति को ही बयान करता है

पिछले दिनों दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में एक दर्दनाक हादसा हुआ। आइएएस की तैयारी कराने वाले एक नामचीन कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में अचानक भरे पानी में डूबकर तीन छात्रों की मौत हो गई। यह दुर्घटना आपराधिक लापरवाही का परिणाम लगती है, क्योंकि यह हादसा गैर कानूनी ढंग से चलने वाले कोचिंग सेंटर की निजी व्यवस्था के तहत हुआ। देखा जाता है कि देश में जब भी कोई गंभीर घटना होती है और जनता की आवाज उठती है तो जांच कमेटी बैठेगी, सख्त कार्रवाई होगी, कानून अपना काम करेगा और दोषी को बख्शा नहीं जाएगा जैसी घोषणाएं करते हुए सरकार थोड़ी देर के लिए जगती है। जैसे कि इस दर्दनाक हादसे में भी देखा जा रहा है, लेकिन कुछ दिनों बाद प्रायः घटनाओं को और उनके आशय को अपनी मौत मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। समय बीतने के साथ लोग भी भूल जाते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। इस बीच राजनीति और राजनेता भी बदल जाते हैं। फिर हम अक्सर वहीं खड़े रहते हैं, जहां पहले खड़े थे। उम्मीद है यह घटना इस यथास्थितिवाद को तोड़ेगी।

इसमें दोराय नहीं कि भारत के पास अतीत की बड़ी थाती है। हम सभी नागरिक भारतीय होने पर गर्व भी करते हैं। यह महान देश निकट भविष्य में विश्वगुरु बनने की उत्कट इच्छा पाले हुए है। इसके साथ ही भारत को विकसित देश बनाने का दावा भी किया जा रहा है। इस दृष्टि से युवा वर्ग की भूमिका और दायित्व खास हो जाता है। आज देश में सामाजिक और भौतिक विविधताएं तो हैं ही आर्थिक विषमता भी बहुत ज्यादा है। ऐसे में हर युवा ऊंची से ऊंची उड़ान भरने के लिए स्वाभाविक रूप से आतुर हो रहा है। इस हलचल भरे माहौल में युवा वर्ग अपने भविष्य को संवारने के लिए घर-बार छोड़ कर कोचिंग करने के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करते हैं। अभिभावक गण रुपया-पैसा जुटा कर अपने बच्चों को कोचिंग के साथ परीक्षा की तैयारी में आर्थिक मदद करते हैं। आशाओं और आकांक्षाओं की उठापटक के बीच ये युवा कठिन परिस्थितियों में अथक परिश्रम करते हैं। अपने सपनों को साकार करने के लिए धैर्यपूर्वक और लगन के साथ कोशिश करते हैं। अब औपचारिक डिग्री की गुणवत्ता पिटने के फलस्वरूप हर काम के लिए, यहां तक कि

दिल्ली में सील किए जाते कोचिंग केंद्र। एएनआइ

अगली कक्षा में प्रवेश या फेलोशिप के लिए भी कोई न कोई परीक्षा अनिवार्य हो गई है। खस्ताहाल हो रही औपचारिक शिक्षा अपर्याप्त होती है। ऐसे में यदि कोचिंग केंद्रों की झड़ी लग रही है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं, मगर इस लाभ वाले व्यापार के विस्तार के साथ इसके सुचारु संचालन के लिए जरूरी आधारभूत सुविधाओं का अभाव भी है। वस्तुतः व्यावसायिक कोचिंग का विशाल धंधा शिक्षा की घोर दुर्व्यवस्था को ही बयान करता है।

विद्यालय की पढ़ाई से विद्यालय की परीक्षा की तैयारी और कोचिंग की पढ़ाई से व्यावसायिक परीक्षा की तैयारी, यह आज हर अभिभावक और विद्यार्थी की मानसिकता बन गई है। इसके चलते आज मेधावी बच्चे भी विद्यालय को छोड़ कोचिंग में भर्ती हो रहे हैं। कोटा नगरी की व्यथा-कथा विश्व प्रसिद्ध हो चली है। सरकारी शिक्षा के प्रति सरकार, समाज और विद्यार्थी सबका अविश्वास बढ़ रहा है। इस टूटते भरोसे के बीच कोचिंग की वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था खूब फल-फूल रही है। इसकी रोकथाम करने के बदले साझी प्रवेश परीक्षा पर जोर इसी अविश्वास की पुष्टि करती है और घोषित करती है कि विद्यालय की पढ़ाई जैसे हो रही थी, जारी रहेगी। यदि आगे पढ़ने-पढ़ाने की इच्छा है तो विद्यालयी परीक्षा के अतिरिक्त इस नई परीक्षा को अनिवार्य रूप से पास करना होगा। विद्यालय की पढ़ाई प्रवेश परीक्षाओं के लिए सिर्फ प्रवेश पत्र रह गई है। यह दुर्भाग्य है कि सरकार विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय की बिगड़ती हालत को सुधारने के लिए तत्पर नहीं हो रही है। वह हर चीज को तब तक झुलाती रहती है जब तक इंतहा न हो जाए।

शिक्षा पर बाजार की भयंकर जकड़न दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है। सरकारी व्यवस्था अक्सर इस बात से बेखबर और उदासीन रहती है कि शिक्षा और कोचिंग संस्थानों में क्या और कैसे हो रहा है। शिक्षा के प्रति उदासीनता का रवैया और युवा वर्ग की जिंदगी के साथ इस तरह का खिलवाड़ आत्मघाती और अक्षम्य अपराध है। गैरकानूनी शिक्षा की दुकानों में और उनके आसपास विद्यार्थियों के रहने के लिए बने पीजी आवासों में भी आए दिन हादसे होते रहते हैं। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से निहायत बुरे हालात में चलने वाले ये कोचिंग के व्यापार केंद्र देश में शिक्षा की दुर्गति की हकीकत बयान करते हैं। आज की जनसंख्या में युवावर्ग के अनुपात में हो रही वृद्धि के साथ शिक्षा पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में शिक्षा नीति से क्रांति लाने के दावे के बावजूद दूर-दूर तक कोई राहत नजर नहीं आ रही है। यह जरूर है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में निजी क्षेत्र का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि सरकारी पहल नदारद या नाकाफी है। न तो सरकार की ओर से शिक्षा में पर्याप्त निवेश हो रहा है, न व्यवस्था ही ठीक हो पा रही है। चूंकि शिक्षा देश के समाज के मानस-निर्माण, उत्पादकता तथा सृजनात्मकता के लिए महत्वपूर्ण है और देश के भविष्य को प्रभावित करती है, लिहाजा इस दिशा में तत्काल ध्यान देना आवश्यक है। दिल्ली में युवा जीवन की असमय मौत की यह दास्तान शिक्षा के क्षरण का ही एक लक्षण है, जो समूचे देश के लिए खेद का विषय है। समाज और सरकार सबको इस पर सोचना होगा और आवश्यक कदम उठाने होंगे।

(लेखक पूर्व कुलपति हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

रुद्राभिषेक

रुद्राभिषेक के दौरान शिवलिंग पर जल, दूध, दही, घी, शहद, गन्ने के रस के अर्पण के निहितार्थों पर गौर किया जाए तो ये समस्त पदार्थ ज्वलनशीलता से राहत देने वाले पदार्थ हैं। भगवान शंकर के अभिषेक का संबंध मानव-जीवन के साथ भी जुड़ता है। मनुष्य को भी जीवन में कठिनाइयों एवं विसंगतियों की ज्वलनशीलता का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में जब तक शीतल और शांत ढंग से मन को अभिसिक्त नहीं किया जाएगा तब तक विपरीत माहौल को अनुकूल नहीं बनाया जा सकता। मनुष्य का शीश भी शिवलिंग जैसा है। इसी शीश भाग में स्थित पंच ज्ञानेंद्रियां शिवतत्व का अहसास कराती हैं और इन्हीं पंच ज्ञानेंद्रियों में विकृतियां आ जाती हैं तो दैत्य भाव जागृत हो जाता है। देखा जाए तो मस्तिष्क ही नहीं पूरे शरीर में जल-तत्व है। जब कभी यह जलतत्व कम हो जाता है तो व्यक्ति अस्वस्थ हो जाता है।

भगवान शंकर का प्रत्यक्ष जलाभिषेक उनके मस्तक पर विराजने वाले चंद्रमा ने किया था। धर्मग्रंथों में उल्लिखित 'शिवशिरोमालिका स्तुतिः' के अनुसार कार्तिकेय मोर पर बैठकर पिता शंकर के पास पहुंचे। शंकर जी के गले में लिपटा सर्प मोर को देखकर डर गया। अपने सान्निध्य में रहने वालों को भगवान शंकर तो अभयदान देते हैं। ऐसी स्थिति में उन्होंने तीसरा नेत्र खोल दिया, जिससे अग्नि-ज्वाला प्रकट होने लगी। अग्नि की ज्वलनशीलता को देखकर मस्तक पर स्थिति चंद्रमा ने 'सुधामृत' से भगवान का अभिषेक करना शुरू किया। चंद्रमा के अमृत-अभिषेक की बूंदें शंकर जी के गले के मुंडमाल में स्थित ब्रह्मा के पांचवें कटे हुए मुख में जाकर पड़ा तो वह भी जीवंत हो गया। ब्रह्मा ज्ञान के देवता हैं। ऐसी स्थिति में सुषुप्त ज्ञान भी जागृत हो गया। इस प्रकार सावन में भगवान शंकर के अभिषेक का आशय मन को शीतल बनाने एवं ज्ञान को जागृत करना भी है।

सलिल पांडेय

रेल दुर्घटनाओं पर नियंत्रण

मनीष कुमार

आधुनिक तकनीक के माध्यम से सभी रेलवे ट्रैक को कवच तकनीक से सज्जित किया जाना चाहिए

देश में रेल दुर्घटनाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। झारखंड में एक मालगाड़ी के डिब्बों से टकराकर हावड़ा से मुंबई जा रही मुंबई मेल के अनेक डिब्बे पटरी से उतर गए। एक महीने से कम अवधि में यह तीसरी दर्दनाक रेल दुर्घटना है। इन घटनाओं के बाद से ट्रेनों को कवच तकनीक से लैस की मांग ने जोर पकड़ लिया है। कवच एक खास तरह का आटोमेटिक प्रोटेक्शन सिस्टम है। कवच प्रणाली किसी आपातकालीन स्थिति में ट्रेनों को स्वचालित रूप से रोक देती है। साफ है इससे रेल हादसों को कम किया जा सकता है। इस तकनीक पर भारतीय रेलवे ने साल 2012 में ही काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन अफसोस कि अभी भी इस तकनीक को बहुत कम ही ट्रेनों में इंस्टाल किया जा सका है।

केंद्र सरकार 25 हजार करोड़ रुपये की लागत से 508 स्टेशनों को अत्याधुनिक बनाने का दावा करती है, किंतु सवाल यह है कि स्टेशनों को चमकते हुए दिखना सुरक्षित रेल यात्रा मुहैया करवाने से अधिक आवश्यक कैसे हो सकता है? एक रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे की ग्रुप सी और डी नौकरियों की भर्ती में कुछ वर्षों से भारी कटौती की जा रही है। ये कर्मचारी रेलवे ट्रैक में खामियां और सिग्नल की समस्या आदि देखा करते हैं। भारत अमेरिका, चीन, रूस के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। अमेरिका, चीन और रूस में पैसेंजर ट्रेनों की औसत गति क्रमशः 80-130, 200-300 और 160-200 किमी प्रति घंटा है। जबकि भारत में एक्सप्रेस ट्रेनों की औसत गति 51 किलोमीटर प्रति घंटा और साधारण ट्रेनों की औसत गति 37.7 किलोमीटर प्रति घंटा ही है। इन तीन देशों में भारत की तुलना में यात्री ट्रेनों की स्पीड इतनी अधिक होने के बावजूद रेल दुर्घटनाएं अपेक्षाकृत कम होती हैं।

रेल दुर्घटनाओं को मरने वालों की संख्या से नहीं आंका जाना चाहिए। प्रतिदिन लगभग ढाई करोड़ लोग भारतीय रेल में यात्रा करते हैं। जाहिर है इस तरह के हादसे इन रेल यात्रियों के विश्वास को डगमगाते हैं। इससे पहले कि रेल का टिकट मौत का टिकट बने, सरकार को रेलवे की सुरक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए। सबसे पहले आधुनिक तकनीक के माध्यम से सभी रेलवे ट्रैक को कवच तकनीक से सज्जित किया जाना चाहिए। हालांकि इसकी लागत बहुत अधिक है, परंतु यात्रियों की सुरक्षा के लिहाज से यह आवश्यक है। साथ ही रेलवे को चाहिए कि वह तकनीकी खामियों को घटाने की कोशिश करे एवं ग्रुप सी तथा डी कर्मचारियों की संख्या बढ़ाए। रेलवे की प्राथमिकता यात्रियों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करवाना होना चाहिए, न कि केवल स्टेशन को चमकाना, क्योंकि 'जान है तो जहान है'।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

धर्म की आड़ में हिंसा नहीं

'देशघाती साबित होता एक अधिकार' शीर्षक से प्रकाशित आलेख में राजीव सचान ने सांप्रदायिकता की समस्या को उजागर करते हुए शिक्षा में सुधार, मीडिया की जिम्मेदारी और कठोर सरकारी कदम उठाने पर जोर दिया है। आज जब हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, जहां तकनीक और विज्ञान ने हमें ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है, तब भी हम सांप्रदायिकता के दलदल में फंसे हुए हैं। हमें समझना होगा कि यह हमारे समाज को कमजोर बनाती है और हमारे विकास में बाधा डालती है। नेताओं को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और सांप्रदायिकता के खिलाफ एक मजबूत संदेश देना होगा। हमें अपनी राजनीतिक और धार्मिक मान्यताओं को एक तरफ रखकर समाज के विकास और प्रगति के लिए एकजुट होना होगा। इसके लिए समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों जैसे कि डाक्टर, वकील, शिक्षक, और अन्य पेशेवरों को आगे आना होगा और समाज में जागरूकता फैलानी होगी। समाधान के लिए हमें सबसे पहले अपनी शिक्षा प्रणाली में बदलाव लाने होंगे। बच्चों को प्रारंभिक स्तर से ही पंथनिरपेक्षता, सहिष्णुता, और भाईचारे का महत्व सिखाना होगा। इसके साथ ही, हमें अपने शिक्षण संस्थानों में नैतिक शिक्षा और मानवाधिकारों की शिक्षा को प्रमुखता से शामिल करना होगा। सरकार को भी अपनी भूमिका निभानी होगी। सरकार को कठोर कानून बनाने होंगे जो सांप्रदायिक हिंसा को रोकने में सक्षम हों। इसके साथ ही, प्रशासन को भी सतर्क रहना होगा और ऐसी घटनाओं को समय रहते काबू में करना होगा। इसके लिए पुलिस और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, ताकि वे ऐसी स्थितियों को प्रभावी ढंग से संभाल सकें। अंत में यह समझना आवश्यक है कि समाज की एकता और अखंडता को बनाए रखना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। हमें हर प्रकार के विभाजनकारी तत्वों का विरोध करना होगा और समाज में भाईचारा और सौहार्द की भावना को प्रोत्साहित करना होगा। केवल इसी मार्ग पर चलकर हम एक मजबूत और प्रगतिशील समाज का निर्माण कर सकते हैं।

अवनीश कुमार गुप्ता, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश

देश के प्रति जिम्मेदार बनें नेता प्रतिपक्ष

'विभाजनकारी राजनीति' शीर्षक से युक्त संपादकीय में केंद्रीय बजट को लेकर नेता प्रतिपक्ष की बेतुकी बातों को फिजूल बताते हुए जो नसीहत दी गई है, वह गौरतलब है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी यह क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि जनता जनार्दन ने 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को बहुमत देकर भाजपा को तीसरी बार देश की सत्ता सौंपते हुए कांग्रेस को फिर से विपक्ष में बैठने का आदेश दिया है। संख्याबल की दृष्टि से उन्हें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का सम्मानजनक दायित्व भी मिल चुका है। निःसंदेह अब उनको चुनावी प्रतिद्वंद्विता की मानसिकता से बाहर निकल कर देशहित में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी का निर्वाह गंभीरता के साथ करना चाहिए, क्योंकि देश उनको लोकसभा के अंदर धीर-गंभीर नेता प्रतिपक्ष के रूप में राष्ट्रहितैषी आचरण करते हुए देखना चाहता है, लेकिन यह विडंबना ही है कि राहुल गांधी चुनावी मोड से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वह बजट बनाने वाले अधिकारियों की जाति ढूंढ़ रहे हैं। उनके मन-मस्तिष्क में चुनाव के समय की विद्वेषपूर्ण राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता इस कदर घर गई है कि भाजपा के चुनावी चिह्न कमल को भी बजट की चर्चा में घसीट लाए। लोकसभा के मानसून सत्र में जब केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट पर विपक्ष की ओर से गंभीर और सकारात्मक विमर्श की उम्मीद थी तब नेता प्रतिपक्ष ने अपनी अटकलबाजियों से देश को निराश किया। नेता प्रतिपक्ष ने बजट की सार्थक चर्चा से परे जाकर प्रधानमंत्री मोदी, संघ प्रमुख मोहन भागवत, गृहमंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और भारत के दो बड़े उद्योगपतियों को लक्षित कर जैसी बेतुकी बात की है, उससे साबित हो गया कि देशहित के मुद्दों पर सार्थक चर्चा करने में उनकी कोई रुचि नहीं है।

pandeyvp1960@gmail.com

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।
****

भारत-चीन संबंध

तनाव की स्थिति

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने स्वीकार किया है कि चीन के साथ भारत के संबंध तनावपूर्ण हैं, लेकिन इसमें तीसरे पक्ष की मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। विदेश मंत्री ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि भारत और चीन के बीच संबंध सामान्य नहीं हैं। उनका हालिया बयान भारत और चीन के बीच वर्तमान समय में जारी राजनयिक तनाव रेखांकित करता है। इसके पहले भी उन्होंने कहा था कि चीन एक बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसका अर्थ था कि हमें चीन के खिलाफ काम करने के पहले दो बार सोचना चाहिए। विदेश मंत्री द्वारा वर्तमान समय में भारत-चीन संबंधों का आंकलन उन चुनौतियों को रेखांकित करता है जो विभिन्न राजनयिक प्रयासों तथा उच्चस्तरीय संपर्क के बावजूद बनी हुई हैं। विदेश मंत्री एस. जयशंकर के बयान का एक प्रमुख तत्व यह था कि उन्होंने चीन के साथ विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की 'मध्यस्थता' से साफ इनकार किया। विदेश मंत्री ने जोर दिया कि भारत चीन के साथ अपने मुद्दे द्विपक्षीय स्तर पर बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के हल करना चाहता है। यह दृष्टिकोण भारत द्वारा अंतरराष्ट्रीय संबंधों के प्रत्यक्ष प्रबंधन की दीर्घकालीन नीति का हिस्सा है। जयशंकर की टिप्पणी विदेश नीति में संप्रभुता व स्वायत्तता बनाए रखने के भारतीय दृष्टिकोण की परिचायक है। तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को अस्वीकार कर भारत चीन के साथ अपने मतभेद प्रत्यक्ष संवाद व बातचीत के माध्यम से हल करने के इरादे का संकेत दे रहा है। भारत का यह दृष्टिकोण स्थापित राजनयिक चैनलों के माध्यम से विवाद समाधान के प्रति प्रतिबद्धता प्रकट करता है। इससे वह विदेशी प्रभाव को अस्वीकार करता है जिससे प्रक्रिया में बाधा आ सकती है तथा वह और जटिल हो सकती है।

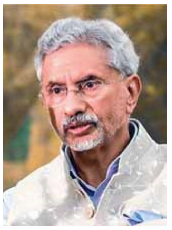

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने व्यक्तिगत रूप से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय मुद्दों के समाधान में दिलचस्पी दिखाई, पर इसका कोई लाभ नहीं हुआ। चीनी प्रधानमंत्री शी जिनपिंग को भारत आमंत्रित कर उनका जोरदार स्वागत किया गया, पर इससे बर्फ नहीं पिघली और सीमाओं पर तनाव जारी रहा। भू-राजनीति की जटिलताओं में भारत अमेरिका के ज्यादा निकट आया है जो भारत का प्रयोग चीन का प्रभाव सीमित करने के लिए करना चाहता है। स्वाभाविक रूप से चीन इससे बहुत चिंतित है। चीन की बेचैनी सीमा पर उसकी कार्रवाइयों से प्रकट होती है जो 1962 से 2017 में 'डोकलाम घटना' होने तक शांतिपूर्ण बनी रही। भारत-चीन संबंध जटिल और बहुआयामी हैं जिन पर ऐतिहासिक, राजनीतिक, आर्थिक व रणनीतिक तत्वों का प्रभाव पड़ता है। दोनों देशों के बीच काफी लंबी सीमा है। 1962 में अक्साईचिन क्षेत्र में सीमा विवाद के कारण भारत-चीन युद्ध हुआ था। मजेदार बात है कि सीमा विवादों के बावजूद दोनों देशों के बीच व्यापार संबंध बढ़े हैं। चीन भारत का एक सबसे बड़ा व्यापार साझीदार है। लेकिन हालिया वर्षों में सीमा पर टकराव तथा रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता बढ़ी है। हालिया वर्षों में संबंधों में सहयोग व टकराव, दोनों शामिल रहे हैं। 2017 में हुई डोकलाम झड़प सीमा पर तनाव का प्रमुख उदाहरण है। यह टकराव डोकलाम पठार पर हुआ जो चीन और भूटान के बीच विवादित क्षेत्र है। 2020 में गलवान घाटी में झड़प से टकराव और बढ़ा। हालांकि, इन चुनौतियों के बावजूद भारत और चीन लगातार राजनयिक और आर्थिक संबंध बनाए रहे। दोनों देशों ने परस्पर लाभ के दृष्टिकोण से मतभेदों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता अनुभव की है क्योंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था तथा क्षेत्रीय भू-राजनीति में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है।

विकसित भारत हेतु संतुलित बजट

2024-25 के बजट में प्रधानमंत्री मोदी के 'आत्मनिर्भर भारत' दृष्टिकोण को केन्द्रीय स्थान मिला है। इससे घरेलू उत्पादन बढ़ेगा, एसएमई को सहायता मिलेगी तथा निर्भरता घटाने के लिए खोज को गति मिलेगी।

के.एस. तोमर
(लेखक, वरिष्ठ पत्रकार हैं)

प्रधानमंत्री मोदी के 'आत्मनिर्भर भारत' दृष्टिकोण को बजट में केन्द्रीय स्थान मिला है। इस दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण क्षेत्रों, जैसे कृषि, विनिर्माण व तकनीक में आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया है। बजट में घरेलू उत्पादन बढ़ाने, छोटे एवं मझोले उद्यमों-एसएमई की सहायता करने तथा खोज प्रोत्साहित करने पर जोर है। इन पहलों का उद्देश्य आयात निर्भरता घटाना तथा जीवन्त व टिकाऊ अर्थव्यवस्था बनाना है। इसके साथ ही बजट में मोदी के वैश्विक अर्थव्यवस्था से भारत के संबंधों पर भी जोर दिया गया है। भारत की निर्यात प्रतियोगिता क्षमता बढ़ाने, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश-एफडीआई आकर्षित करने तथा वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में सहभागिता का महत्वपूर्ण स्थान है। इस दृष्टिकोण से वैश्विक बाजार से संबंध मजबूत करने के साथ घरेलू क्षमतायें बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। यह संतुलित दृष्टिकोण भारत के लिए महत्वपूर्ण है जिससे वह लगातार जटिल होती वैश्विक अर्थव्यवस्था के परिदृश्य में चुनौतियों का सामना कर अवसरों का लाभ उठा सकेगा।

केन्द्रीय बजट देश के आर्थिक नियोजन में केन्द्रीय स्थान रखता है। इससे सरकार की रणनीतिक प्राथमिकताओं तथा भविष्य का दृष्टिकोण पेश करने में सहायता मिलती है। यह अगले पांच साल के लिए उल्लेखनीय सुधारों की नीव रखता है। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में यह बजट आर्थिक वृद्धि को गति देगा, सामाजिक असमानताओं को संबोधित करेगा तथा भारत को वैश्विक मंच पर महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में स्थापित करेगा। नवीनतम बजट वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता की पृष्ठभूमि में तैयार किया गया है और यह संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हुए घरेलू विकास तथा अंतराष्ट्रीय दृष्टिकोण को समाहित करता है।

2024-25 के केन्द्रीय बजट के प्रकाश में भाजपा-नीत केन्द्र सरकार को विपक्ष शासिल सरकारों से आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने पैसा एकत्र करने व नीतिगत क्रियान्वयन में भेदभाव का आरोप लगाया है। विशेषज्ञों का कहना है कि केन्द्रीय योजनाओं व पैसे के आबंटन में बजट फ्लैगशिप योजनाओं, जैसे 'प्रधानमंत्री आवास योजना'-पीएमएवाई और 'आयुष्मान भारत' में 15 प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव करता है। लेकिन विपक्षी राज्यों का तर्क है कि फंड में उनका आबंटन समानुपातिक आवश्यकताओं की अभिव्यक्ति नहीं करता है। उदाहरण के लिए, तमिलनाडु ने दावा किया है कि पीएमएवाई में काफी आबंटन के बावजूद पैसा जारी करने में विलंब से क्रियान्वयन में इसके प्रभावी प्रयोग में बाधा आती है।

केन्द्र सरकार की प्रतिक्रिया में जोर दिया गया है कि समतापूर्ण वितरण विभिन्न आयामों पर आधारित है, पर विपक्षी राज्यों का दृष्टिकोण है कि ये व्याख्यायें सतही हैं। आलोचकों का कहना है कि योजनाओं के क्रियान्वयन में अक्षमता भेदभाव का प्रमाण है। विपक्ष शासित राज्यों ने विलंब के बारे में चिन्ता प्रकट की है जिससे योजनाओं का समुचित क्रियान्वयन नहीं होता है। केन्द्र सरकार को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि इन फंडों का प्रभावी प्रयोग हो तथा शिकायतों को संबोधित करने के लिए क्रियान्वयन पर गहरी नजर रखी जाए। राजनीतिक पूर्वाग्रह के आरोप राजनीतिक गतिशीलता को प्रभावित करते हैं। विपक्षी नेताओं का तर्क है कि केन्द्रीय एजेंसियां राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों पर निशाना लगाती हैं जिनसे भेदभाव की भावना और मजबूत होती है। भाजपा के राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों का आरोप है कि केन्द्रीय संसाधनों के प्रबंधन से सरकार इन जटिल राजनीतिक गतिशीलताओं का प्रबंधन आसानी से कर सकती है। भेदभाव के आरोपों का मुकाबला करने के लिए केन्द्र सरकार को अनेक रणनीतियों का पयोग करना चाहिए जिनमें पारदर्शिता बढ़ाना शामिल है। उसे फंड आबंटन तथा खर्च की विस्तृत रिपोर्ट जारी करना चाहिए ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके तथा असमान वितरण की शिकायतें दूर हो सकें।

सरकार को केन्द्रीय योजनाओं के सक्षम और प्रभावी क्रियान्वयन पर खासकर विपक्ष शासित राज्यों में जोर देना चाहिए ताकि समान विकास के प्रति उसकी प्रतिबद्धता प्रदर्शित हो सके। केन्द्र को विपक्षी राज्य सरकारों के साथ नियमित चर्चा कर उनकी शिकायतों को दूर कर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी बातें सुनी गईं और उनको संबोधित किया गया। टिकाऊ वृद्धि के लिए संतुलित दृष्टिकोण जरूरी है। मोदी के नेतृत्व में भारत का केन्द्रीय बजट विकास के प्रति संतुलित रूपरेखा पेश करता है। इसमें घरेलू विकास तथा रणनीतिक अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण के बीच संतुलन बनाया गया है। इसमें ढांचागत संरचना, स्वास्थ्यरक्षा, शिक्षा और वित्तीय समावेशन पर जोर दिया गया है जो सरकार की समावेशी विकास के प्रति प्रतिबद्धता प्रकट करता है। इसके साथ ही वैश्विक साझेदारी, रक्षा, विनिर्माण और नवीकरणीय ऊर्जा पर जोर दिया गया है जिससे स्पष्ट होता है कि भारत विश्व मंच पर प्रमुख पक्ष के रूप में उभरना चाहता है। बजट का प्रमुख ध्यान समावेशी विकास पर है। इसमें सुनिश्चित किया गया है कि आर्थिक विकास के लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचें। ढांचागत सुधार पर काफी आबंटन किया गया है जिसमें सड़कें, रेलवे और डिजिटल ढांचे शामिल हैं। बजट न केवल रोजगार सृजन का वादा करता है, बल्कि दीर्घकालीन आर्थिक मजबूती के लिए जमीनी आधार भी तैयार करता है।

नवीकरणीय ऊर्जा व हरित तकनीक पर जोर इसका एक और महत्वपूर्ण पक्ष है जो इसे टिकाऊ विकास की वैश्विक प्रवृत्तियों से जोड़ता है। लेकिन स्वास्थ्यरक्षा और शिक्षा पर समुचित ध्यान नहीं दिया गया है। सार्वजनिक स्वास्थ्य पर समुचित आबंटन खासकर कोविड-19 वैश्विक महामारी से सीखे सबकों के बाद जरूरी था। इसके साथ ही शिक्षा व खासकर डिजिटल व व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर देना जरूरी है। इससे युवा पीढ़ी ऐसे कौशलों से लैस होगी जो उसे भविष्य में रोजगार बाजार के लिए तैयार करेगी। मानव पूंजी के विकास पर जोर देना दीर्घकालीन टिकाऊ विकास के लिए बहुत जरूरी है। वित्तीय समावेशन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता उसकी अनेक पहलों के विस्तार के रूप में सामने आती है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों तक बैंकिंग व वित्तीय सेवाओं का विस्तार शामिल है। यह प्रयास ग्रामीण जनसंख्या को औपचारिक अर्थव्यवस्था में समाहित करने, उनके आर्थिक अवसर बढ़ाने तथा क्षेत्रीय असमानतायें समाप्त करने के लिए जरूरी है। इसके साथ ही किसानों, महिलाओं और हाशियाकृत समुदायों के प्रति लक्षित कल्याणकारी योजनाओं से सरकार की प्रतिबद्धता प्रकट होती है कि वह सामाजिक असमानताओं को संबोधित कर संसाधनों का ज्यादा समतापूर्ण वितरण सुनिश्चित करना चाहती है।

भेदभाव वाले दृष्टिकोण का एक प्रमाण केन्द्रीय बजट में बिहार को बाढ़ समस्या से निपटने के लिए 11,500 करोड़ रुपये का आबंटन है, जबकि हिमाचल और उत्तराखंड को भी जुलाई-अगस्त, 2023 में लगभग 12,000 करोड़ व 4,000 करोड़ का भारी नुकसान हुआ, लेकिन इन आंकड़ों का बजट में कोई उल्लेख नहीं हुआ। हिमाचल प्रदेश की इस आपदा में 550 लोगों को जान गंवानी पड़ी थी तथा राज्य सरकार ने विस्थापितों के पुनर्वास के लिए 650 करोड़ रुपये का आबंटन करना पड़ा। उसे केन्द्रीय वित्त मंत्री से उदार पैकेज की उम्मीद थी। वित्त मंत्री ने पंजाब पर भी ध्यान नहीं दिया जिसके 23 जिलों में से 21 भारी बरसात और बाढ़ से प्रभावित हुए थे और उसे 1,680 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ था।

बिहार को विशेष व्यवहार के लिए चुना गया और वित्त मंत्री ने बाढ़ राहत के लिए उसे 11,500 करोड़ रुपये का आबंटन किया। विशेषज्ञों का कहना है कि बिहार भारत का सर्वाधिक बाढ़-संभावित राज्य है। उत्तर बिहार की 76 प्रतिशत जनसंख्या दशकों से लगातार बाढ़ का सामना कर रही है। इसलिए उसे विशेष पैकेज की आवश्यकता है, लेकिन इसके लिए दूसरे राज्यों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए जिनको ऐसी ही समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि, मोदी का 'आत्मनिर्भर भारत' का दृष्टिकोण पूरे बजट में केन्द्रीय स्थान पर है। यह देश की आर्थिक व रणनीतिक महत्वाकांक्षाओं का रोडमैप पेश करता है। समग्र दृष्टिकोण, संतुलित घरेलू प्राथमिकतायें तथा अंतरराष्ट्रीय संबंधों के साथ ही भारत निश्चित रूप से टिकाऊ व समृद्ध भविष्य की ओर बढ़ रहा है।

निरंतरता व सहानुभूति से टीबी का उपचार

> तपेदिक एक उपचार योग्य संक्रामक रोग है जो असमानताओं से जुड़ा है, इसलिए इन असमानताओं को सहानुभूति के साथ संबोधित करने वाली साझेदारियों में निवेश करना महत्वपूर्ण है।

स्वप्ना मजूमदार
(लेखिका वरिष्ठ पत्रकार हैं)

एक साल पहले 20 वर्षीय ताहिरा को यकीन हो गया था कि वह मरने वाली है। बुखार जो ठीक नहीं हो रहा था, लगातार खांसी, भूख न लगना और अत्यधिक कमजोरी ने उसे महीनों तक बिस्तर पर रहने पर मजबूर कर दिया था। उसका पति, जो एक रिक्शा चालक है, के पास न तो साधन थे और न ही उसे डॉक्टर के पास ले जाने का समय। जब उसका भाई कोलकाता में उससे मिलने आया और उसकी गिरती सेहत को देखा, तभी उसने मामले को अपने हाथों में लेने का फैसला किया। वह ताहिरा को अपने साथ दिल्ली के सीमापुरी में उसके मायके ले आया।

यह फैसला उसकी जान बचाने के लिए था। लगभग इसी समय, एक गैर-लाभकारी संस्था, ह्यूमैना पीपल टू पीपल इंडिया, अपने प्रोजेक्ट लीड (लीवरेजिंग एजुके टिंग, एडवोके टिंग टू डिसरप्ट टीबी ट्रांसमिशन) के एक हिस्से के रूप में तपेदिक (टीबी) पर जानकारी और मार्गदर्शन दे रही थी। सरकार के राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) के साथ घनिष्ठ समन्वय में काम करते हुए, लीड ने चार शहरों, दिल्ली, मुंबई, हावड़ा और हैदराबाद में निम्न-श्रेणी की शहरी झुग्गियों में रहने वाले अक्सर उपेक्षित और उपेक्षित हाशिए के समुदायों, बेघर और प्रवासी आबादी पर ध्यान केंद्रित किया। दृढ़ता का फल मिलाजब लीड फील्ड ऑफिसर शांति ने ताहिरा से मुलाकात की, तो उन्हें तुरंत पता चल गया कि क्या करना है। सबसे पहले, उसे छाती का एक्स-रे कराने के लिए ले जाया गया।

जब ताहिरा में टीबी होने की संभावना दिखाई दी, तो थूक की माइक्रोस्कोपी की गई, जिसमें टीबी की पुष्टि हुई। एक बार जब यह स्पष्ट हो गया, तो कार्टिज-आधारित न्यूक्लिक एसिड एम्पलीफिके शन टेस्ट के माध्यम से डब्ल्यूएचओ द्वारा अनुशंसित आणविक परीक्षण और सरकारी जीटीबी अस्पताल में मुफ्त में उपलब्ध कराए गए लाइन प्रोब परख के माध्यम से दवा संवेदनशीलता परीक्षण के माध्यम से निदान की पुष्टि की गई। दवा संवेदनशीलता परीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि टीबी बैक्टीरिया (बैसिलस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस), जो किसी व्यक्ति को संक्रमित करता है, उन दवाओं के प्रति प्रतिरोधी नहीं है, जिनसे उनका इलाज किया जाता है।

शांति को एहसास हुआ कि बर्बाद करने के लिए समय नहीं है, इसलिए उसने जल्दी से नी-अक्षय, सरकार की एनटीईपी रियल-टाइम रोगी प्रबंधन वेब प्रणाली पर अपना पंजीकरण सक्षम किया, ताकि उसका कार्ड बनाया जा सके और उसका इलाज उसी दिन शुरू हो सके। एक प्रशिक्षित कार्यकर्ता के रूप में, शांति जानती थी कि समय बहुत महत्वपूर्ण है और उपचार का पालन करना महत्वपूर्ण है। इसलिए, अगले छह महीनों के लिए, शांति ताहिरा की छाया बन गई। उसने सतर्क नज़र रखी और ताहिरा को दवा के नियम से चिपके रहने या चूकने से बचाने के लिए 40 बार लगातार उसका इलाज किया। उसकी दृढ़ता का फल तब मिला जब कुछ महीने पहले ताहिरा का परीक्षण नकारात्मक आया और अब वह पूरी तरह से ठीक हो गई है। टेक्नो सीएटीटीबी एक संक्रामक बीमारी है, इसलिए जल्दी पता लगाना और इलाज करना बहुत ज़रूरी है, खासकर तब जब यह बीमारी तब फैलती है जब बीमारी वाले व्यक्ति हवा में बैक्टीरिया छोड़ते हैं, ज़्यादातर खांसने से। यहीं पर तकनीक एक भूमिका निभा सकती है। कफ अगेंस्ट टीबी (कैट) एक अभिनव अनुप्रयोग है जो वाधवानी एआई द्वारा विकसित फुफ्फुसीय टीबी की संभावना का आकलन करने के लिए एआई-संचालित खांसी-ध्वनि-आधारित स्क्रीनिंग टूल है, जिसके परिणामस्वरूप 10.8 प्रतिशत संभावित दर और 15.6 प्रतिशत की सकारात्मकता उपज हुई। कैट का उपयोग करने के महत्वपूर्ण परिणामों में से एक स्पर्शोन्मुख मामलों का पता लगाना था, जो अन्यथा छूट जाते। जबकि प्रौद्योगिकी एक सक्षम उपकरण रही है, 600,000 से अधिक व्यक्तियों की स्क्रीनिंग, टीबी (पीडब्ल्यूटीबी) से पीड़ित 3,182 लोगों की पहचान करने और दिल्ली में उनमें से 98त्न को उपचार के अनुपालन में सहायता करने की वास्तविक सफलता महिला फील्ड वर्करों द्वारा दिखाई गई प्रतिबद्धता और करुणा के कारण है। एक साल की परियोजना के अंत में परियोजना के निष्कर्ष बताते हैं कि महिला फील्ड अधिकारी अपनी सहानुभूति के कारण टीबी जागरूकता और स्क्रीनिंग में अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में अधिक प्रभावी साबित हुई।

एक मानवीय स्पर्श कैसे एक मानवीय स्पर्श सभी अंतर ला सकता है, यह ताहिरा के मामले में देखा गया। शांति ने ताहिरा को उसके चुनौतीपूर्ण उपचार के दौरान सिर्फ़ काउंसलिंग के ज़रिए ही नहीं, बल्कि एक एनजीओ के साथ अपने संपर्कों के ज़रिए हर महीने भोजन राशन की खुराक देकर भी मदद की। इसके अलावा, उन्होंने उसे एनटीईपी की अक्षय पोषण योजना से भी जोड़ा, जो टीबी पीड़ितों को भोजन खरीदने के लिए हर महीने 500 रुपये देने की सरकारी योजना है। टीबी से ठीक हो चुकी महिलाओं को एक्टिविस्ट और फील्ड वर्कर के तौर पर तैनात करने से उन लोगों तक पहुँचने में भी मदद मिली है जो टीबी से पीड़ित हैं। वे जानती हैं कि टीबी के साथ जीने का क्या मतलब है और उन्हें किस तरह के सामाजिक कलंक का सामना करना पड़ता है। ऐसी ही परिस्थितियों में दूसरों की मदद करने के उनके दृढ़ संकल्प ने शुरुआती पहचान और उपचार को बढ़ावा दिया है। यह एक ज्ञात तथ्य है कि सबसे ज़्यादा जोखिम में वे लोग हैं जो खराब हवादार और भीड़भाड़ वाली परिस्थितियों में रहते हैं, कुपोषण और बीमारियों से पीड़ित हैं और स्वास्थ्य सेवा तक उनकी सीमित पहुंच है। प्रोजेक्ट लीड ने दिखाया है कि महिला फील्ड ऑफिसर अपनी समझ और संवेदनशीलता की वजह से कमज़ोर और हाशिए पर पड़े लोगों को टीबी की जांच और उपचार के लिए राजी करने में ज़्यादा सफल होती हैं। टीबी शोधकर्ता डॉ. अनुराग भार्गव, डॉ. मधुकर पई और डॉ. माधवी भार्गव ने दोहराया कि टीबी एक इलाज योग्य संक्रामक रोग है जो असमानताओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए इन असमानताओं को पाटने के लिए अधिक साझेदारी में निवेश करना और भी जरूरी है।

आप की बात

मनु की दुहरी सफलता

पेरिस ओलंपिक में भारतीय महिला निशानेबाज मनु भाकर ने 12 साल बाद निशानेबाजी स्पर्धा में दो पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया है और हम भारतवासियों को गौरवान्वित किया है। खेलों में मनु भाकर की सफलता ने सिद्ध किया है कि बेटियां किसी भी क्षेत्र में कमतर नहीं है। उन्होंने अपने हौसलों से हर मुश्किल काम को आसान किया है और हर क्षेत्र में अपनी कामयाबी का परचम लहराया है। ओलंपिक में एक बार फिर मनु ने हमें गर्व करने का अवसर प्रदान किया है। ओलंपिक के 124 सालों के सफर में भारत ने अब तक 35 पदक ही हासिल किए हैं और इनमें मात्र 10 स्वर्ण पदक है। 10 में से 8 स्वर्ण पदक तो पुरुष हॉकी में जीते हैं और दो स्वर्ण पदक भाला फेंक और निशानेबाजी की व्यक्तिगत स्पर्धा में जीते हैं। ऐसे बहुत सारे गेम है जिसमें भारत पदक जीतने से अब तक वंचित रहा है। 2020 के टोक्यो ओलंपिक में भारत ने सर्वाधिक सात पदक जीते थे। अब तक के ओलंपिक इतिहास में भारत पदक तालिका में दहाई अंक तक भी नहीं पहुंच पाया है। उम्मीद करनी चाहिए कि भारत पेरिस ओलम्पिक में अब तक का सर्वोत्तम प्रदर्शन कर न केवल खेलों की दुनिया में अपना जलवा दिखाएगा, बल्कि वर्ष 2036 में ओलम्पिक मेजबानी के लिए भी तैयार होगा।

– **नलिन खोईवाल,** इंदौर

मीडिया की जिम्मेदारी

दिल्ली से छपने वाले अखबारों में शायद ही ऐसा कोई दिन हो कि किसी कोचिंग संस्थान का पूरे पेज का विज्ञापन न छपा हो। विडंबना है कि जैसे ही ये कोचिंग संस्थान विज्ञापनदाता हो जाते हैं, मीडिया का ध्यान इस बात से हट जाता है कि इनके भीतर कोई गड़बड़ी भी हो सकती है। शायद बड़े विज्ञापन देने के कारण ये कोचिंग संस्थान मीडिया की जांच का विषय नहीं रह जाते। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर लोग खुलेआम वीडियो बनाकर मीडिया संस्थान का नाम लेकर लिख रहे हैं कि वे इंटरव्यू शूट करने और दिखाने के लाखों रूपये लेते हैं। ऐसे में यदि किसी कोचिंग संस्थान के मालिक ने पैसे दे कर मीडिया के किसी हिस्से को इंटरव्यू दिया तो उसके लिए भी कोचिंग संस्थान कोई ख़बर का विषय नहीं है। मीडिया को भारी-भरकम विज्ञापन देकर प्रभावित किया जा सकता है। मीडिया में विज्ञापनों और खबरों के बीच द्वंद्व तो महात्मा गांधी के समय से ही शुरू हो गया था, जब मीडिया अपने उदीयमान समय में था। आज स्थिति पहले की तुलना में ज्यादा गंभीर हो गई है। लेकिन तमाम वित्तीय दबावों के बावजूद मीडिया से उम्मीद की जाती है कि वह देश और समाज की विसंगतियां उजागर करता रहेगा।

–**भूपेंद्र सिंह,** दिल्ली

ट्रेन दुर्घटना

हावड़ा से मुंबई जा रही मेल एक्सप्रेस झारखण्ड में चक्रधरपुर रेल मंडल के बड़ा बम्बू स्टेशन के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसमें 20 बोगियां बेपटरी हो गई जिससे 2 यात्रियों की मृत्यु हुई और अनेक घायल भी हो गए। हालांकि, रेलवे ने मृतक आश्रितों, गंभीर घायलों और मामूली घायलों को मुआवजा देने की घोषणा की है। लेकिन पिछले कुछ समय से एक के बाद एक दुखद रेल दुर्घटनायें कहीं न कहीं गंभीर लापरवाही दर्शाती हैं। यह जांच का विषय है कि इनके पीछे कोई षड्यंत्र तो नहीं हो रहा है। लेकिन इनसे रेलवे की कार्यप्रणाली पर सवाल उठते हैं। हालांकि रेलवे वर्तमान समय में नई-नई ट्रेनें चला रही है और अनेक विकास कार्य भी रेलवे में चल रहे हैं। लेकिन तकनीकी या गैर तकनीकी कर्मचारियों की कमी भी दूर करना जरूरी है ताकि परिचालन में असुविधा व अड़चनें न उत्पन्न होने पायें। रेलवे ने तकनीकी उन्नयन से यात्रियों की सुविधा बढ़ाने में उल्लेखनीय प्रगति की है, पर यात्री सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की दिशा में तकनीक पर अति-निर्भरता हानिकारक हो सकती है। समय की मांग है कि रेलवे में सभी खाली पदों पर उपयुक्त कर्मचारियों की यथासंभव शीघ्रातिशीघ्र भर्ती की जाए।

–**महेश नेनावा,** इंदौर

कर्नाटक का निर्णय

भारतीय न्याय संहिता-बीएनएस की धारा 281 के तहत वाहनों की गति 120 किलोमीटर से अधिक होने पर खतरनाक ड्राइविंग मानी जाती है। इसीलिए कर्नाटक राज्य सरकार ने 130 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक रफ्तार से गाड़ी चलाने वाले के खिलाफ एक अगस्त से एफआईआर दर्ज करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय उचित और स्वागत योग्य है। यह निर्णय इसलिए भी उचित है क्योंकि इससे अधिक स्पीड से गाड़ी चलाने पर ड्राइवर का कोई कंट्रोल नहीं रह पाता है और दुर्घटना का अंदेशा हमेशा बना रहता है। आजकल बाइक भी ऐसी आ रही है जो पल भर में 160 की स्पीड पकड़ लेती है जो जानलेवा सिद्ध हो सकती है। कर्नाटक सरकार का यह निर्णय प्रशंसनीय है। दूसरे राज्यों को भी इस निर्णय का अनुकरण कर इसे अपने प्रदेशों में इसे लागू करना चाहिए। दोपहिया या चौपहिया वाहन चालकों को स्पीड का आनन्द उठाने का अवसर देने के लिए राज्य सरकारों को बाइक व कार रेसिंग प्रतियोगिताओं का आयोजन करने पर विचार करना चाहिए। वाहनों की गति पर लगाम निरपराध राहगीरों के लिए भी जरूरी है।

– **भगवानदास छारिया,** इंदौर

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से responsemail.hindipioneer@gmail.com पर भी भेज सकते हैं।